न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी जिला हनुमानगढ
ोन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
ग संख्या –423/2024
ान :

सुखविन्द्र कौर पत्नी सुलखनसिह पुत्री निर्मलसिह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 1 आर.के. राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

परमजीत कौर पत्नी छिन्द्रपाल सिह पुत्री निर्मलसिह जाति कम्बोज सिख निवासी 18 एच.एम.एच हनुमानगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीया

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1 अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद वर्मा :–वादीया
2 अधिवक्ता श्री करनैल सिह :–प्रतिवादीया

निर्णय दिनांक 31/12/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि चकनं0 1 आर.के. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 60 में कुल 1.2140 है0 नाली प्रथम मय गै0मु0 आराजी में से प्रतिवादीया का 287/1214 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वादीया व प्रतिवादीया आपस में सगी बहिन है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी प्रतिवादीया को अपने पिता से प्राप्त आराजी है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादीया व प्रतिवादीया के मध्य आपस में घरू बटवारां किया हुआ है व घरू बटवारां मे प्रतिवादीया ने वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज अपने हिस्सा की आराजी वादीया को दी हुई है जिस पर वादीया काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाती चली आ रही है।वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादीया के नाम की आराजी वादीया के कब्जा काश्त मे चली आ रही है लेकिन बटवारां मे प्राप्त प्रतिवादीया के नाम की आराजी वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से तथा खाता हाजा मे प्रतिवादीया का नाम दर्ज रहने से वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व वादीया अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहती है। इसलिए वादीया घोषणा इस आशय की प्राप्त करने की अधिकारी है कि वाद

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादीया के नाम की आराजी की वादीया खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं0 1 आर.के. खाता सं0 60 मे से प्रतिवादीया परमजीत कौर का नाम कलमजन करवाने की अधिकारी व दावेदार है।

वादीया ने प्रतिवादीया को कई दफा निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज प्रतिवादीया के नाम की आराजी वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवा देवे तो प्रतिवादीया कतई इन्कार हो गयी। बस यही बिनाय दावा है। वादीया का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है:-

कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीया निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:-

क. कि घोषित किया जावे कि चकनं0 1 आर.के. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 60 में कुल 1.2140 है0 नाली प्रथम मय गै0मु0 आराजी में से प्रतिवादीया के 287/1214 हिस्सा की आराजी की वादीया खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 1 आर.के. के खाता सं0 60 मे से प्रतिवादीया परमजीतकोर का नाम कलमजन किया जावे।

ख. कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

ग.कि अन्य कोई अनुतोष बहक वादी हो तो दिलाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीया को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन सम्यक तामिल होने के बाद प्रतिवादीया द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि वादीया मुझ प्रतिवादीया की सगी बहिन है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी मुझ प्रतिवादीया को अपने पिता से प्राप्त आराजी है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादीया व मुझ प्रतिवादीया के मध्य आपस में घरू बटवारां किया हुआ है व घरू बटवारां मे मुझ प्रतिवादीया ने वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज अपने हिस्सा की आराजी वादीया को दी हुई है जिस पर वादीया काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाती चली आ रही है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज मुझ प्रतिवादीया के नाम की आराजी वादीया के कब्जा काश्त मे चली आ रही है जिसकी वादीया ही रकम राज अदा करती चली आ रही है। इसलिए वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज मुझ प्रतिवादीया के नाम की आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 1 आर.के. खाता सं0 60 मे से मुझ प्रतिवादीया परमजीत कौर का नाम कलमजन किया जाता है तो मुझ प्रतिवादीया को कोई उज्र व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस मे राजीनामा हो गया है व मैं प्रतिवादीया राजीनामा से पूर्णतया सहमत हूँ। जबाबदावा मय शपथ पत्र शामिल मिसल किया गया। वाद के समर्थन में अधिवक्ता वादीया द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया, शामिल मिसल किया। साक्ष्य के रूप में वादीया अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाए।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
लिच्छी

Scanned with CamScanner

प्रकरण में प्रतिवादीया का जवाब/राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादया के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीया द्वारा अपने नाम से दर्ज वाद पत्र की दफा 2 में आराजी जो वादीया को दी हुई है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज प्रतिवादीया के नाम की आराजी पर वादीया काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाती चली आ रही है जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज मुझ प्रतिवादीया के नाम की आराजी वादीया के कब्जा काश्त मे चली आ रही है जिसकी वादीया ही रकम राज अदा करती चली आ रही है। इसलिए वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज मुझ प्रतिवादीया के नाम की आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्ररतुत साक्ष्य सबूतों व प्रतिवादीया द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा सहमति के आधार पर वाद साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चकनं0 1 आर.के. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 60 में कुल 1.2140 है0 नाली प्रथम मय गै0मु0 आराजी में से प्रतिवादीया के 287/1214 हिस्सा की आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 1 आर.के. खाता सं0 60 मे से प्रतिवादीया परमजीतकौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

ण संख्या – 423 / 2024

ान :

सुखविन्द्र कौर पत्नी सुलखनसिह पुत्री निर्मलसिह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 1 आर.के. राठीखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

परमजीत कौर पत्नी छिन्द्रपाल सिह पुत्री निर्मलसिह जाति कम्बोज सिख निवासी 18 एच.एम.एच हनुमानगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीया

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1 अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद वर्मा :–वादी

2 अधिवक्ता करनैलसिह :–प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 31/12/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीया श्री महावीर पसाद वर्मा व करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीया अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं0 1 आर.के. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 60 में कुल 1.2140 है0 नाली प्रथम मय गै0मु0 आराजी में से प्रतिवादीया के 287/1214 हिस्सा की आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 1 आर.के. खाता सं0 60 मे से प्रतिवादीया परमजीतकौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner